



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 435 राँची, शुक्रवार, 16 श्रावण, 1948 (श०)
7 अगस्त, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

6 अगस्त, 2026

संख्या-09/आरोप-गोड्डा-04/2026 - 2614/(09)/रा.,--उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-39/स्था0, दिनांक-07.01.2026 एवं पत्रांक- 262/रा0, दिनांक-16.02.2026 द्वारा श्री मुक्तेश्वर प्रसाद रजक, अंचल निरीक्षक, गोड्डा के विरुद्ध श्री रोनित कुमार, सुश्री नेहा दत्ता एवं सुश्री सुचारिता दत्ता का गलत जाति एवं निवासी प्रमाण पत्र तथा श्री प्रितम कुमार गाडिया का गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुशंसा करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है ।

2. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1349, दिनांक-18.05.2026 द्वारा लिखित बचाव बयान की मांग की गई। उक्त के आलोक में श्री रजक द्वारा बचाव बयान प्राप्त है ।

3. प्राप्त आरोप पत्र एवं श्री रजक का बचाव बयान का विभागीय स्तर से समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित प्रतीत होता है ।

4. उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जांच हेतु श्री मुक्तेश्वर प्रसाद रजक के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने निर्णय लिया गया है ।

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के आदेश ज्ञापांक-229, दिनांक-09.01.2026 द्वारा सुनील कुमार (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग हेतु विभागीय जांच पदाधिकारी नामित किया गया है।

6. अतः विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु सुनील कुमार (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) विभागीय जांच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है तथा अपर समाह्वता, गोड्डा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

मंजू रानी स्वांसी,
सरकार के संयुक्त सचिव।
